

नये परिवार राशन कार्ड हेतु आवेदन पत्र
(ग्रामीण क्षेत्र के लिए)

आवेदन पत्र का
मूल्य 1 रु है।

सेवामें,

विकास अधिकारी, पं स.
जिला उदयपुर ।

1. आवेदक का पूरा नाम..... पिता/पति का नाम.....

2. आवेदक का पूरा पता.....

3. आवेदक के पूरे परिवार के सदस्यों के नाम जो परिवार के साथ रहते हैं ।

क्र.सं **सदस्य का नाम** **उम्र** **लिंग** **आवेदक से सम्बंध** **व्यवसाय**

i

ii

iii

iv

v

4. आवेदक आयकर दाता हैं ; नहीं है । गैस कनेक्शन ए.बी.सी/डी.बी.सी मय नाम गैस एजेंसी
.....कनेक्शन नं.....बी.पी.एल. में चयनित है तो क्रमांक.....

5. आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड की निर्धारित कीमत रु नकद जमा करवा रहा हूं।

6. परिवार मुखिया के दो पास पोर्ट साइज के फोटो संलग्न हैं।

7. पूर्व में जारी राशन कार्ड जमा कराने का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

8. किराये के मकान में निवास करने पर मकान मालिक का प्रमाण पत्र (पृष्ठांकित प्रारूप 1 में)संलग्न है।

9. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे परिवार के उपरोक्त अंकित सदस्यों का कोई राशन कार्ड नहीं है और न ही मैंने राशनकार्ड बनाने हेतु अलग से कोई प्रार्थना पत्र दिया है साथ ही उपरोक्त सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति का नाम किसी अन्य राशन कार्ड में शामिल नहीं है। यह घोषणा मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास से सही है ।

दिनांक:-

हस्ताक्षर आवेदक

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र/पति श्री.....
प्लाट/मकान नं.....निवासी.....ने नया राशन कार्ड बनाने हेतु जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें दिया गया विवरण सही है व प्रमाण पत्र देने से पूर्व मैंने इसकी सत्यता का विश्वास कर लिया गया है ।अतः इसका उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जावे ।

हस्ताक्षर(मोहर सहित)

राजपत्रित अधिकारी/ संसद सदस्य/वि.स.सदस्य
जिला प्रमुख /प्रधान पं.स./ पं.स. सदस्य/सरपंच/
पटवारी/ग्राम सेवक

आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जावे-

1. परिवार मुखिया के दो पास पोर्ट साइज के फोटो (कृपया फोटो प्रार्थना पत्र पर नहीं चिपकावें बल्कि प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी करें।)
2. पूर्व में जारी राशन कार्ड जमा कराने का प्रमाण पत्र । (ग्रा.क्षेत्र हेतु विकास अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र हेतु अधिशाषी अधिकारी अन्य जिला मुख्यालय हेतु जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी)
3. किराये के मकान में निवास करने पर मकान मालिक का प्रमाण पत्र (पृष्ठांकित प्रारूप 1 में यदि लागू हो)।
4. राशन कार्ड की कीमत रुपये आवेदन के साथ जमा कराने हैं ।

आवेदक के किराये के मकान में निवास करने पर मकान मालिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री पिता /पति
श्री मेरे मकान
.....(पता) में गत् (समयावधि) से किरायेदार के रूप में निवास कर रहे हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर मकान मालिक

नाम :-

पता:-